दिनांक 01.08.2017

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

52 परिवाद न्यायालय में पेश हेतु तैयार, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग बेचने वालों का

भिलाईनगर/ छ0ग0 राज्य में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग में सामान बेचना व खरीदना दोनों प्रतिबंाति है भिलाई नगर निगम द्वारा बार-बार समझाईस व अर्थदण्ड वसुलने के बाद भी भिलाई के व्यापारी चोरी छिपे रुप से प्लास्टिक कैरीबैग एवं सामानों को कैरीबैग में रखकर बेच रहें हैं। आयुक्त के0 एल0 चौहान के निर्देश पर निगम क्षेत्र के सभी जोनों में कार्यवाही विभागीय स्तर पर सभी जोन आयुक्त दल बनाकर कार्यवाही कर रहें हैं। मौके पर निरीक्षण के दौरान जिस दुकान से प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग मिल रहा है वहॉ जप्ती पत्रक पंचनामा, प्रतिबंधित प्लास्टिक पर न्यायालय में परिवाद दायर करने के लिए प्रपत्र, शपथ पूर्वक बयान/कबुलनामा तैयार कर न्यायालयीन के लिए अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। आयुक्त के0एल0 चौहान ने कहा कि यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगा क्षेत्र को गंदगी एवं कचरा मुक्त बनाने में पॉलिथीन कैरीबैग सबसे बड़ा बाधक है जहॉ देखों वहीं पर रंग बिरंगे झिल्ली पन्नी दिखाई पड़ते है नाली जाम हो जाता है। खाद्य सामग्री के साथ पालिथीन फेंकने पर जानवर खा लेते हैं जो उनके लिए जानलेवा हो रहा है। निगम के साथ-साथ शहर के सभी नागरिक मिलकर सहयोग करेंगे तभी हम अपने नगर को स्वच्छ सुन्दर पॉलिथीन मुक्त बना सकतें है।

जनसम्पर्क अधिकारी